



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

E-mail:- dfc-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213



सेवा में

पत्रांक:-

2300

दिनांक:-

22-11-2024

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय:-

टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल 121.29 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 17.01 हे० एवं लातेहार प्रमंडल 104.28 हे०) वनमूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 461 दिनांक 21.09.2024

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत परियोजना पर 8 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है-

क्र० सं०	त्रुटियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न ऑन-लाइन पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न ऑन-लाइन पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-II की कड़िका-11 (C) में Area of forest land involved in violation (in ha) : 0.25 है जिसमें Designation & Address of person responsible for violation में Darbhanga House CCL Ranchi अंकित किया गया है जबकि मगध ओ०सी०पी० का Controlling Office Project Office Magadh, Kundi, Tandwa, Chatra, Jharkhand है। इस प्रकार Office Name Change की आवश्यकता है।	उक्त Violation में CCL एवं RITES दोनों को दोषी पाया गया है। RITES को कार्यानुमति CCL HQ, Darbhanga House Ranchi से दिया गया है, इसलिए Designation & Address of person responsible for violation में Darbhanga House CCL Ranchi अंकित है।
3	ऑन-लाइन पार्ट-II की कड़िका 14 में CA हेतु भरी गई डाटा में Non Forest Land (In ha.) में 0 अंकित है जबकि मैनुअल पार्ट-2 में CA हेतु Non Forest Land (In ha.) में 53.79 अंकित है इसे स्पष्ट किया जाय।	ऑन-लाइन पार्ट-II की कड़िका 14 में Progress of Compensatory afforestation as on date में गैर वनमूमि में अभी तक वृक्षारोपण नहीं हुआ इसलिए 0 अंकित है, जबकि मैनुअल पार्ट-2 में चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध वनमूमि (1930.90 हे०) एवं गैर वनमूमि में (53.79 हे०) अंकित है। 53.79 हे० उपलब्ध गैर वनमूमि में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न आपके द्वारा Violation in Magadh Railway Siding (Chatra Part) के कॉलम में NFL (In ha.) में Actual Area 17.01 and Area under violation में 0.25 अंकित है तथा GMJJ (In ha.) में Actual Area 0.00 ha. And Area under Violation में 0.00 ha. अंकित है तो फिर Total Area (NF+GMJJ) 17.01 किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट करें। साथ ही Total Violation (NF+GMJJ) 0.25 ha. अंकित किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 0.25 हे० रकबा 17.01 हे० में सन्निहित है या इसके अलावे 0.25 हे० GMJJ का रकबा है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में मगध रेलवे साईडिंग का कुल क्षेत्रफल 17.01 हे० है जो कि Notified Forest है। प्रस्ताव में अंकित 0.25 हे० violation क्षेत्रफल 17.01 हे० का ही पार्ट है।
5	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन 352.38 की मजदूरी दर से तैयार किया हुआ है जबकि यह मजदूरी दर कमी रहा ही नहीं है। अभी वर्तमान में 12.09.2024 से 405 रु० के मजदूरी दर निर्धारित है तथा इसके पूर्व 386.01 रु० की मजदूरी दर था। संशोधित दसवर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार दस वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	ऑन-लाइन पार्ट-I की कड़िका B-2.4 Component wise break-up में Safety Zone के लिए 1.14 हे० Forest Land लिया गया है जबकि विषयगत प्रस्ताव रेलवे साईडिंग का है तो Safety Zone की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करें। साथ ही 115 हे० Others के लिए Forest Land लिया गया है जो नियम संगत उचित नहीं है। अन्य कार्य हेतु इतने बड़े वनमूमि को उपयोग हेतु देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।	प्रयोक्ता अनिकरण द्वारा ऑन-लाइन पार्ट-I की कड़िका B-2.4 Component wise break-up में सुधार कर दिया गया है और अपलोड किया गया है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है)।

Area Bifurcation of Land use (In ha.)									
Sl. No.	Component Name	Lachar Division				Chitra Division			
		Notified Forest	GMJJ	Non Forest	Total	Notified Forest	GMJJ	Non Forest	Total
1	Bridge & Culvert	0.24	0.31	0.46	1.01	0	0	0	0
2	Conveyor, Silo, etc.	2.05	0.23	11.12	13.4	0	0	0	0
3	Road	1.32	2.14	2.35	5.81	0	0	0	0
4	Railway line & its embankment	67.56	30.43	33.33	131.32	17.01	0	0	17.01
5	CHP & Ground Bunker	0	0	82.96	82.96	0	0	0	0
Total		71.17	33.11	130.22	234.5	17.01	0	0	17.01
Total Area = (234.50+17.01)=251.51ha									

7	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु दिखाये गये कैंडस्ट्रल मैप पर ट्रेंच की लम्बाई अंकित नहीं है तथा कुल रकबा 78.117 हे० तथा शुद्ध रकबा 70.00 हे० अंकित है जबकि क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्रायकलन एवं डी०जी०पी०एस० मैप में शुद्ध रकबा 35.29 हे० अंकित है, दोनों में विरोधाभासी है, इसे स्पष्ट किया जाय।	क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु दिखाये गये कैंडस्ट्रल मैप को सही कर अपलोड कर दिया गया है। ट्रेंच की लम्बाई- 211.74 चैन, कुल रकबा- 78.117 हे० एवं शुद्ध रकबा- 32.29 हे० है।
8	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजार भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरण जिसे संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है की हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है। इसे अपलोड किया जाय।	सत्यापित वनभूमि का विवरणी Additional document के रूप ऑन-लाईन अपलोड कर दिया गया है।
9	ऑन-लाईन पार्ट-II की हस्ताक्षरित प्रति ऑन-लाईन पार्ट-II के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।	ऑन-लाईन पार्ट-II की हस्ताक्षरित प्रति ऑन-लाईन पार्ट-II के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

22/11/2024